कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0– 7360/दस–185(1)शीरा–नीति/2004–05 इलाहाबाद:दिनांक:नवम्बर 20,04

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0–4152/दस–185(1)/शीरा–नीति/2003–04 दि0–12.2.04 के संदर्भ में, गंगादीन यादव, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0– 3486ई–2/तेरह–2004–77/2004 दि0–19.11.04 के कम में शीरा वर्ष 2004–05 के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के संबंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :–

- प्रदेश में शीरे के उत्पादन में सम्भावित कमी को देखते हुए प्रदेश के बाहर शीरे के निर्यात को शीरा वर्ष 2004–05 में प्रतिबंधित रखा जाए । उक्त प्रतिबंध से उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को शासनादेश सं0–2930ई–2/तेरह–2004–227/2000 दिनांक–20 सितम्बर, 2004 में लिये गये निर्णयानुसार आपूर्ति किये जाने वाले शीरे की मात्रा आच्छादित नही होगी एवं छाता शुगर मिल, मथुरा के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0–1531ई–2/तेरह–2000–54/2000 दिनांक– 07 जून, 2000 पूर्ववत लागू रहेंगे ।

प्रत्येक चीनी मिल में शीरा वर्ष 2004–05 में उत्पादित शीरे का 20प्रतिशत शीरा देशी मदिरा के लिये इस प्रतिबंध के साथ आरक्षित रहेगा कि प्रश्नगत आरक्षित सीमा की छमाही समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार शासन द्वारा उक्त सीमा को संशोधित किया जा सकेगा । प्रत्येक 02 माह में एक बार चीनी मिलों द्वारा शीरे का निस्तारण आरक्षित/अनारक्षित के मध्य 1:3 के अनुपात में किया जायेगा । ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी आसवनियों द्वारा देशी मदिरा का निर्माण किया जाता है उस सीमा तक इस आरक्षण से मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे देशी मदिरा के निर्माण के लिये अपनी स्वयं की चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का स्वंय उपभोग करेंगी ।

गतवर्ष की भांति शीरा वर्ष 2004–05 में प्रदेश के अंदर खपत होने वाले शीरे पर रू0–11/– प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात किये जाने वाले शीरे, जिसमें उत्तरांचल राज्य को आपूर्ति किया जाने वाला शीरा भी सम्मिलित है पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0–15/–प्रति कुन्टल रहेगी ।

शीरे के आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर प्रदेश के अंदर खपत होने वाले शीरे पर अधिरोपित प्रशासनिक शुल्क की दर के सामान ही रू0–11/–प्रति कुन्टल होगी ।

गतवर्ष की भांति शीरा वर्ष 2004–05 में भी शीरा निधि की धनराशि को अर्न्तइकाई हस्तान्तरण की सुविधा एक ही संगठन की सभी चीनी मिलों को प्रदान की जाए, किन्तु शीरा निधि का अर्न्तइकाई हस्तान्तरण करने के पूर्व आबकारी आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

पेट्रोल में मिलाने के लिये पावर अल्कोहल की आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार से हुए समझौते के अनुपालन हेतु सह–आसवनी (पावर अल्कोहल उत्पादन करने वाली) वाली चीनी मिलों में यदि शीरे की कमी होती है और इस संबंध में उनका प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो उस पर गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

7— शीरा वर्ष 2004—05 के लिगे घोषित नीति अगले शीरा वर्ष 2005—06 में यथावत तब तक जब तक की वर्ष 2005—06 के लिये शीरा नीति की घोषणा नही कर दी जाती ।

8— उत्तर प्रदेश में शीरे का आयात इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ही किया जायेगा ।

9— शीरे पर आधारित इकाईयाँ शीरे का उठान शीरा पासबुक पर ही कर सकेंगी ।

(गंगादीन यादव)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सं0— 7370—7670/दस—185(1)शीरा—नीति/2004—05 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ ।
2. आबकारी आयुक्त, कैम्प कार्यालय लखनऊ ।
3. समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जोन्स/चार्जेज, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
6. अध्यक्ष,उ0प्र0 चीनी मिल संघ,लखनऊ ।
7. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ ।
9 अध्यक्ष,उ0प्र0 आसवक संघ,पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज,नई दिल्ली ।
10 समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, देशी मदिरा आपूर्तक आसवनी
11. समस्त देशी मदिरा उत्पादक आसवनियाँ,उत्तर प्रदेश ।
12. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य, देहरादून ।

(गंगादीन यादव)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।